

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

मुख्य अनुदेशक,
मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कुल मो० 49,66,650/-रु० मात्र (उन्चास लाख छियासठ हजार छः सौ पचास) रुपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- स्वीकृत्यादेश सं० 53 रा० (वि०) दिनांक 28.03.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 2915 तथा आवंटन सं० 82 आ० (वि०) दिनांक 29.03.2023 ऑनलाईन आवंटन सं० 5780।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मो० 49,66,650/-रु० मात्र (उन्चास लाख छियासठ हजार छः सौ पचास) रु० मात्र, स्वीकृत्यादेश सं० 53 रा० (वि०) दिनांक 28.03.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 2915 तथा आवंटन सं० 82 आ० (वि०) दिनांक 29.03.2023, ऑनलाईन आवंटन सं० 5780 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 49,66,650/-रु० मात्र (उन्चास लाख छियासठ हजार छः सौ पचास) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-245/बजट दिनांक-30.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-533 (वि०) दिनांक-03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत आवंटित राशि निम्न प्रकार है:-

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 45 निर्माण कार्य	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S44050079671010545	
1	2	3	4
1	मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची	4966650	4966650
कुल योग:		4966650	4966650

कुल आवंटित राशि मो0 उन्चास लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु0 मात्र।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। नियमित लेखा मिलान (रिकान्सिलिएशन) कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
6. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. स्वीकृत्यादेश सं0 53 दिनांक 28.03.2023 के कंडिका-5 के आलोक में राशि की निकासी एकमुश्त करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सं0-1, राँची को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
10. कार्यो का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय।
11. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।

26 (310)
29/03/2023

2023

2023

2023

12. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

29/3/23
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 26(3A0) मत्स्य/ राँची, दिनांक 29.03.2023

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल-1, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 26(3A0) मत्स्य/ राँची, दिनांक 29.03.2023

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल-2, राँची/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 26(3A0) मत्स्य/राँची, दिनांक 29.03.2023

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक एवं उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - IV/311/22-23/26

दिनांक - 29-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 44050079671010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 71 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	101174	DRNFSH011 PRASHANT KUMAR DEEPAK CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 45 - निर्माण कार्य	4,966,650.00 रुपये उनचास लाख छछठ हजार छः सौ पचास



योग:

क्रमिक योग:

रुपये उनचास लाख छछठ हजार छः सौ पचास

4,966,650.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 71 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S44050079671010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNFSH011	Prashant Kumar Deepak	Chief Instructor F.F.Tc Ranchi	₹49,66,650.00 (101174)	₹49,66,650.00

कुल आवंटित राशि :- ₹49,66,650.00 (mupkl yk[k NkNB gtkj N% lkS ipkl) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

26 (370)
29/03/2023

29/3/23
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

